न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 24/23 सन् 2023

GCMS NO-2023/190

बउनवानीः– 1. विनोद कुमार, प्रहलाद,विजय कुमार पिसरान हीरा मीना नि0 चौथ का बरवाडा

बनाम

2. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 543/2023 निर्णय दिनांक 19.10.2023 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :– 1. श्री अब्दुल बहाव — वकील अपीलान्ट

2. श्री तुलसीराम शर्मा — नायब तहसीलदार.(पैरोकार)

–: निर्णय :– दिनांक 20.2..2024

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 543/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2023 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल किया जाकर 50 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया एंव विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2080(खरीफ) मे वाके ग्राम चौथ का बरवाडा ए तहसील चौथ का बरवाडा की भूमि आराजी ख0न01870 रकबा 0.50 है0 पर बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट का अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हंवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है एवं पश्चातवर्ती अतिकमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जॉच नही की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा रंजिशवश प्रस्तुत गलत व झूंठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। यह कथन भी किया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के तहत विधिवत नोटिस जारी कर सुनवायी का समुचित अवसर भी प्रदान नही किया गया एवं बिना सुने ही न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध इकतरफा आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया जिसके कारण अपीलान्ट अपनी प्रतिरक्षा करने के अधिकार से महरूम हो गया। हम सभी को संयुक्त नोटिस दिया गया जिसमे यह भी नही बताया कि किसके द्वारा कितने रकबे पर अतिकमण कर रखा है। अपीलान्टगण द्वारा उक्त ख0न0 1870 पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। जहॉ तक अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिकमण का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विधि में सुस्थापित है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्व में किसी निर्णय के कियान्वयन में मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया हो तो उस व्यक्ति को पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिसके आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:18:55 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ॰ खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

अपीलान्ट को कथित प्रश्नगत भूमि पर से पूर्व में बेदखल किया गया हो, इस सम्बन्ध मे अदालत मातहत द्वारा लिये गये इकतरफा बयान को विधि अनुरुप नही माना जा सकता है क्योंकि इसमें अपीलान्ट को पटवार हल्का से जिरह करने का समुचित अवसार दिये बिना ही अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के विपरीत है। अतः आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये ,तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहाँ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट के नोटिस की स्वंय अपीलान्ट विनोद से करवायी गई तामील से हो जाती है। किन्तु अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश नही किया, जिसके आधार पर अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि ख0न0 1870 पर अतिक्रमण नही होने बाबत किये गये कथन के समर्थन मे कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया है तथा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 19.01.2024 के अनुसार ख0न0 1850 रकबा 0.50 है0 पर अपीलान्ट द्वारा वर्तमान में सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पेरौकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया ।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अदालत मातहेत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट की तलवी हेतु जारी नोटिस की स्वंय विनोद अपीलान्ट से करवायी गयी तामील से होती है क्योकि शेष अपीलान्ट प्रहलाद एवं विजयकुमार की तामील नही करायी गयी है तथा तीनो अपीलान्ट को पृथक–पृथक नोटिस भी जारी नही किया है। इसलिए उक्त तामील प्रोपर तामील की श्रेणी मे नही आती है। जहाँ तक अपीलान्ट के पश्चात्वर्ति अतिक्रमण होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानो के आधार पर नही की जा सकती है, क्योकि पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नही है इसके अतिरिक्त अपीलान्ट को उक्त भूमि पर से पूर्व मे बेदखल किये जाने व फसल कुर्की इत्यादि से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है। उपरोक्त विवेचन से यह पाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया है ओर ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सम्पूर्ण दस्तावेज हमफीता किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को पुनः सुनवायी हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर आदेश जैर अपील सजा की सीमा तक निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण, बेदखली,फसल कुर्की, पूर्व मे पारित निर्णय, पटवारी बयान इत्यादि दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रदर्श करते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर विधिवत निर्णय पारित करे। अपीलान्ट 15 दिवस के अन्दर अपना पक्ष रखने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद [illegible]खिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.2.2024 को लिखवाया जाकर खुले [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:18:55 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner